राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमाक : प.3(54)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक : 20.11.2012

सचिव,
नगर सुधार न्यास,
भरतपुर।

विषयः—कृषि भूमि के नियमन के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

संदर्भः—आपका पत्र क्रमांक प्र.श.संग/2012/667 दिनांक12.11.2012।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है, जो निम्न प्रकार है :—

क्र0सं0	मार्गदर्शन के बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही
1	दिनांक 17.06.99 से पूर्व कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन अथवा भूखण्ड के रूप में क्रय नहीं कर कृषि भूमि के हिस्से के रूप में क्रय की गई है। ऐसी भूमि को 17.06.99 से पूर्व अकृषि उपयोग का कोई सबूत भी नहीं है। अतः ऐसी भूमि को नियमन 17.06.99 के पूर्व का प्रकरण माना जावें या 17.06.99 के बाद का माना जाकर नियमन किया जावेगा।	यदि सबूत नहीं हो तो 17.06.99 से पूर्व का प्रकरण नहीं माना जावें। यदि खसरे में आंशिक भाग का सबूत है तो माना जावें।
2.	दिनांक 17.06.99 से पूर्व कृषि भूमि धारक/कृषि भूमि के हिस्सा धारक द्वारा कृषि भूमि का दिनांक 17.6.99 के बाद भूमि को हिस्सा के रूप में अथवा भूखण्ड के रूप में दिनांक 30. 9.2012 तक अपंजीकृत दस्तावेज से हस्तान्तरण कर दिया है तो दिनांक 30.09.12 तक अपंजीकृत दस्तावेज से हस्तान्तरण मान्य होगा अथवा नहीं तथा प्रकरण 17.06.99 से पूर्व का माना जायेगा या बाद का।	अपंजीकृत दस्तावेज केवल दिनांक 17.06.99 से पूर्व के सृजित भूखण्डों के मामलों में ही मान्य है, बाद के प्रकरणों में नहीं।
3.	दिनांक 17.6.99 के बाद निजी खातेदारी योजनाओं में खातेदारों/भूखण्डधारी द्वारा दिनांक 30.09.12 तक अपंजीकृत दस्तावेज से भूखण्ड का हस्तान्तरण कर दिया है तो ऐसा हस्तान्तरण नियमन हेतु मान्य किया जायेगा अथवा नहीं।	ऐसा हस्तान्तरण विधिवत नहीं होने से मान्य नहीं हो।

4.	दिनांक 17.6.99 के बाद के प्रकरणों में मास्टर प्लान में अनुरूप कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। साथ ही सह खातेदारी भूमि का विधिक बटवारा नामा के अनुसार भूमि के नियमन की कार्यवाही की जानी होती है। सहखातेदारी भूमि में यदि सभी आवदेक सहमति प्रदान नहीं करते है तो ऐसी भूमि/भूखण्डधारी के पक्ष में भूखण्ड का नियमन किस प्रकार किया जायेगा।	यदि सहखातेदार सहमति नहीं देते है तो सक्षम न्यायालय से विधिवत बंटवारे के उपरान्त ही कार्यवाही की जावें।
5.	17.6.99 के पश्चात् अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि का हस्तान्तरण सामान्य वर्ग को होने पर हस्तान्तरण मान्य होगा या नहीं।	ऐसा हस्तान्तरण मान्य नहीं है।
6	आवेदकों द्वारा खातेदारी भूमि के नियमन हेतु प्रस्तुत नियमन पत्रावली में भूमि की खातेदारी दस्तावेज से लेकर अंतिम केता धारी तक लिंक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर केवल कृषि भूमि के हिस्सा/भूखण्ड क्रय का दस्तावेज ही प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि के स्वामित्व का निर्धारण तथा नियमन किस प्रकार किया जायेगा।	ऐसे मामलों में लीज दस्तावेज आवश्यक है।

आज्ञा से,

(आर.के.पारीक)
उप शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. **विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।**
2. **निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान**
3. **निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को प्रेषित कराये जाने हेतु।**
4. **सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।**
5. **सचिव, समस्त नगर सुधार न्यास ..... (राजस्थान)।**
6. **समस्त उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।**
7. **समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी समस्त नगर परिषद/नगरपालिकायें।**
8. **रक्षित पत्रावली।**

उप शासन सचिव–द्वितीय